ला बिजनेस पार्क,
013
ब्लॉक ई-1, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

ए बिक्री सूचना
के साथ पठित नियम 8(6) के तहत)
थ पठित नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित
ति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल
लामी बिक्री सूचना

र्स एउटी इनकॉर्पोरेटेड
क गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी है और कंपनी अधिनियम,
लय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वीं मंजिल,
श ("शाखा") में अन्य स्थानों पर एक शाखा कार्यालय
ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) मुंबई ने कंपनी अधिनियम,
साथ पठित धारा 230 से 232 के प्रावधानों के तहत
लिमिटेड ("टीसीएफएसएल") और टाटा क्लीनटेक
कैपिटल लिमिटेड ("टीसीएल") ट्रांसफरी के रूप में,
इसके संदर्भ में, टीसीएफएसएल और टीसीसीएल
प्रभावी सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, अधिकारों, लाभ,
आदि के साथ एक चालू विषय के रूप में टीसीएल
सीएफएसएल द्वारा निष्पादित सभी सुविधा दस्तावेज
कर दिए गए और इस प्रकार टीसीएल इसके संदर्भ
है।
रकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाता
टल लिमिटेड (सिक्योर्ड क्रेडिटर/टीसीएल) के पास
र्ड क्रेडिटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया
ा है और जो कुछ भी है और बिना संसाधन आधार"

लिए की जानी है और जबकि उधारकर्ता एवं
पने साझेदार/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से,
भीः एच.नं. 117/के/109, आर.एस. पुरम, सर्वोदय
यूएफ, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से, एच. नं.
-208001; **यहां भीः** फैक्ट्री जी–36, पनकी इंडस्ट्रियल
/के/109, आर.एस. पुरम, सर्वोदय नगर, कानपुर,
एरिया, साइट–1, कानपुर, यूपी। (4) करण अग्रवाल,
उत्तर प्रदेश–208001; (5) अतुल अग्रवाल, एच. नं.
-208001; **यहां भीः** फैक्ट्री जी–36, पनकी औद्योगिक
कान नंबर 117/के/109, आर.एस. पुरम, सर्वोदय
मकान नंबर 117/के/109, आर.एस. पुरम, सर्वोदय
1 के माध्यम से मांग नोटिस यू/एस. 13(2) दिनांक
(रुपये दो करोड़ पंद्रह लाख तेरह हजार चार सौ

द के अभाव में, उक्त प्रतिभूति संपत्ति को टीसीएल
क ई–1, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली 110055
द्वारा बेचा जाएगा।
द ई–नीलामी, **टाटा कैपिटल लिमिटेड** के प्राधिकृत
या जाएगा।

का प्रकार नात्मक/ ौतिक	आरक्षित मूल्य (रु.)	बयाना राशि ईएमडी (रु.)
नात्मक	रु. 4,05,52,000/- (चार करोड़ पांच लाख बावन हजार मात्र)	रु. 40,55,200/- (चालीस लाख पचपन हजार दो सौ मात्र)

है। चल वस्तुएँ/हाउस होल्ड इन्वेंट्री, यदि ऊपर
क सुरक्षित संपत्ति के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध
वर्णित न हो। बिक्री तब भी रोक दी जाएगी यदि
धिकृत अधिकारी' को प्रस्तुत की जाती है या उसकी
राशि, ब्याज और लागत भुगतान किया गया। बिक्री
त करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कोई भी
र्तव्य है, हालांकि, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बेची गई
का प्रयास नहीं करेगा। बिक्री सरफेसी अधिनियम,
पोर्टल **https://disposalhub.com** के माध्यम से
बीच प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ
साथ **"टाटा कैपिटल लिमिटेड"** के पक्ष में नई दिल्ली
लेख किया गया है,होनी चाहिए। संपत्ति का निरीक्षण
किया जा सकता है।

ल आईडी– **jagdeep.sehrawat@tatacapital.com**

र की वेबसाइट, यानी **https://bit.ly/3z4dyVI** में
क्ससेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें।

हस्ता /-
अधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल लिमिटेड

SRM Energy

एसआरएम एनर्जी लिमिटेड

CIN: L17100DL1985PLC303047

पंजीकृत कार्यालयः कमरा नं0. 2, ग्राउंड फ्लोर, 1ए मॉल रोड, शांति कुंज, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070

टेलीफोन नं0: 011- 26897892 | वेबसाइटः www.srmenergy.in | ईमेलः info@srmenergy.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है किः

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा क्रमशः 8 अप्रैल, 13 अप्रैल और 05 मई 2020 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020 और 20/2020 तथा 25 सितंबर, 2023 को जारी नवीनतम परिपत्र सं. 09/2023 सहित समयावधि में इस संबंध में जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों तथा उपरोक्त के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी नवीनतम परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/ सीआईआर/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर 2023 सहित सभी प्रासंगिक परिपत्र जो कंपनी को आम स्थान पर सदस्यों की उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन की अनुमति प्रदान करते हैं, के अनुपालन में एसआरएम एनर्जी लिमिटेड ("कंपनी") की 37वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") **बृहस्पतिवार, 26 सितंबर, 2024 को प्रातः 11:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के द्वारा** आयोजित की जाएगी। कंपनी की एजीएम उक्त एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में कृपया ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एजीएम की सूचना से शामिल वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड (ई–मेल) के माध्यम से उन सभी शेयरधारकों को भेजी गई है जिनके ई–मेल पते कंपनी के आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं।

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट http://www.srmenergy.in/Home/AnnualReports एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, से डाउनलोड किया जा सकता है।

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीयन विनियम") के विनियम 42 और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 91 के साथ उसके अधीन बनाए गए लागू नियमों के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि **वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन हेतु कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 से गुरूवार, 26 सितम्बर, 2024 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।**

अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों, सूचीयन विनियम के विनियम 44 एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में कंपनी ने अपने सदस्यों (भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप दोनों में शेयर धारण करने वाले) को सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाओं के द्वारा एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के लिए शेयरधारकों की योग्यता के निर्धारण के रिकार्ड हेतु कट–ऑफ तिथि 19 सितम्बर, 2024 है।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण और जिन्होंने कंपनी/आरटीए के पास ई–मेल पता पंजीकृत नही कराया है, वे सेबी मास्टर परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी–1/पी/सीआईआर/2023 /70 दिनांक 17 मई, 2023 और परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी–1/पी/सीआईआर/2023/181 दिनांक 17 नवम्बर, 2023 के संदर्भ में अपना केवाईसी पूरा करके इसे पंजीकृत करा सकते हैं। सदस्यगण दिये गये लिंक http://www.srmenergy.in/Home/InvestorRelations द्वारा निर्देशों का पालन करके केवाईसी फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। डिमेट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण अपना ई–मेल पता/अन्य विवरण अपडेट करने के लिए अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क करें।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि **(ए)** 37वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, **(बी)** वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का डिस्पैच करने का कार्य (केवल ई–मेल के माध्यम से) 03 सितम्बर, 2024 को पूर्ण किया गया है, **(सी) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग सोमवार, 23 सितम्बर, 2024 को प्रातः 9:00 बजे प्रारंभ होगी और बुधवार, 25 सितम्बर, 2024 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी, (डी)** 25 सितम्बर, 2024 (बुधवार) को सायं 5:00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने की अनुमति नहीं होगी, **(ई)** 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट http://www.srmenergy.in/ और सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com/ पर उपलब्ध है और **(एफ)** इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया एवं विधि के लिए और एजीएम (वीसी/ओएवीएम के माध्यम से) मे शामिल होने के लिए सदस्यगण वार्षिक रिपोर्ट 2023–24 के (पेज नं. 87 से 90) में शामिल निर्देशों को भली–भांति पढ़ लें या सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com/Help.jsp को देखें।

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त सूचना/वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण के बाद सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात् 19 सितंबर, 2024 (अर्थात् शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की पात्रता के लिए कट–ऑफ तिथि) पर शेयर रखता है तो वह वार्षिक रिपोर्ट में वर्णित ई–वोटिंग के लिए बताए गए समान निर्देश और इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने तथा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए दिये गये निर्देशों का पालन कर सकता है। एजीएम में भाग लेने वाले उन सदस्यों के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने पहले से ही ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है। ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने वाले सदस्य बैठक में शामिल हो सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी। आगामी वार्षिक आम बैठक के लिए श्री सतीश कुमार निरंकार, एस. के. निरंकार एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा वोटिंग से जुड़ी सभी शिकायतों के लिए श्री राकेश दल्वी, वरि. प्रबंधक (सीडीएसएल) सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्युचुरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुंबई–400013 से संपर्क करें या ई–मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल भेजें या टोल फ्री नं. 1800 21 09911 पर कॉल करें।

कृते एसआरएम एनर्जी लिमिटेड
हस्ता/–
(पंकज गुप्ता)
कंपनी सचिव
ICSI M. No. A63088

दिनांकः 04.09.2024
स्थानः नई दिल्ली

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

तराई फूड्स लिमिटेड

CIN: L15142DL 1990PLC039291

पंजी. कार्यालयः 13, हनुमान रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001,
वेबसाईटः www.taraifoods.in, ईमेलः taraifoods@gmail.com
टेली. नं.: 011-41018839

34वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम), रिमोट ई–वोटिंग जानकारी तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 34वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, 26 सितम्बर, 2024 को 10.00 बजे पूर्वा. में विडियों कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जाएगी।

कम्पनी ने 34वीं एजीएम की सूचना, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के अंनकेक्षित लेखाओं तथा ऑडिटरों एवं निदेशकों के रिपोर्ट्स के साथ कॉर्पोरेट अधिशासन पर रिपोर्ट से शामिल वार्षिक रिपोर्ट का ऐसे सदस्यों जिनके ईमेल आईडी पत्राचार के प्रयोजन के लिये कम्पनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं, को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रेषण 4 सितम्बर, 2024 को पूरा कर लिया है।

यह एजीएम "कोविड–19 से उत्पन्न खतरे के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनियों द्वारा साधारण और विशेष प्रस्तावों को पारित करने पर स्पष्टीकरण" के संबंध में एमसीए के साधारण सर्क्युलर्स संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022, 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 क्रमशः तथा, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 और 21/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021 और 14 दिसंबर 2021, 02/2022 दिनांक 5 मई 2022, 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 और 09/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023 क्रमशः द्वारा "वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने पर स्पष्टीकरण" के संबंध में, (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सामूहिक रूप से 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/ सीआईआर/पी/2020/79,सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11,सेबी/एचओडीडीएचएस/पी/सीआईआर/2022/0063 और सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी–2/पी/सीआईआर/ 2023/ 4 दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022 और 5 जनवरी, 2023 के द्वारा सितंबर, 2024 तक एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") आयोजित करने की अनुमति दी है। एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम सें आयोजित की जा रही है। कंपनी की 34वीं वार्षिक आम बैठक का माना गया स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) संशोधन नियमावली, 2015 द्वारा यथा संशोधित, के नियम 20 तथा सेबी (एलओडीआर) विनिमयन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में यह कम्पनी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए अपने सदस्यों को सहर्ष रिमोट ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है। कम्पनी ने सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई–वोटिंग सेवाएं प्राप्त की है।

रिमोट ई–वोटिंग अवधि सोमवार, 23 सितम्बर, 2024 को (10.00 बजे पूर्वा.) (आईएसटी) में शुरू होगी तथा बुधवार, 25 सितम्बर, 2024 को (5.00 बजे अप.) (आईएसटी)में बंद होगी।

उसके बाद मतदान के लिये रिमोट ई–वोटिंग पद्धति सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दी जायेगी। सदस्य द्वारा किसी भी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद, सदस्य को उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। सदस्यों के मतदान का अधिकार कट–ऑफ तिथि जो 19 सितम्बर, 2024 है, को सदस्यों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार होगा।

31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ नोटिस उन सभी सदस्यों को भेज दिया गया है, जिनके नाम 30 अगस्त, 2024 तक सदस्यों के रजिस्टर / डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में दिखाई दिए। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित किये हों तथा कम्पनी का सदस्य बने हों तथा कट–ऑफ तिथि अर्थात् 19 सितम्बर, 2024 को शेयर धारित करते हों, वे सूचना में रिमोट ई–वोटिंग के लिये वर्णित उसी निर्देशों का पालन करें।

कम्पनी 34वीं वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित शेयरधारकों जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग प्लेट फार्म द्वारा द्वारा मतदान नहीं किये हों, सीडीएसएल प्लेटफार्म के द्वारा ऐसे शेयरधारकों द्वारा मतदान के लिये सुविधा उपलब्ध कराएगी। पुनरू रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर देने के बाद भी सदस्य 34वें एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन सभा में फिर से मतदान की अनुमति उन्हें नहीं दी जायेगी।

जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभ–भोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, केवल वे ही रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ एजीएम में मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे।

जिन सदस्यों को सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो, वे उसे कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.taraifoods.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं अथवा www.bseindia.com वेबसाइट से नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम सूचना में मुद्रित रिमोट ई–वोटिंग से संबंधित निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढे"। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान से संबंधित कोई भी प्रश्न/शिकायत/समस्या taraifoods@gmail.com पर ई–मेल की जा सकती है अथवा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालयः 13, हनुमान रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 अथवा में ई–मेल taraifoods@gmail.com पर में भेजी जा सकती है अथवा 011–4108839 पर कॉल करें।

एजीएम में निष्पादित होने वाले व्यावसायिक मदों से संबंधित दस्तावेज कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में एजीएम की तिथि तक सभी कार्य दिवसों को व्यावसायिक अवधि के दौरान (10.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप.) तक निरीक्षण के लिये खुले हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015, समय–समय पर यथा संशोधित के विनियमन 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 से गुरुवार, 26 सितम्बर, 2024 (दोनों दिवस सहित) तक 34वीं एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

बोर्ड के आदेश से
तराई फूड्स लि. के लिये
हस्ता./–
विजय कांत असीजा
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 4 सितम्बर, 2024